न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर 58/2021 दायर दिनांक –05.03.2021

1. रामचंद्र पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
–वादी

बनाम

1. तहसीलदार (भू–अभिलेख) लैण्ड होल्डर नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री सुरेश कुमार सीगड़
वकील प्रति॰ :– एकपक्षीय

दावा बाबत– घोषणार्थ व
रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 17.10.2025

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम परसरामपुरा में एक व्यक्ति घासी पुत्र फता नाम का पैदा हुआ जो अविवाहित नाऔलाद खत्म हो गया। वादी का पिता उक्त घीसा पुत्र फता का सगा भाई था जिसको उक्त घीसा पुत्र फता ने अपने हक हकूक एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि तथा आवासीय गुवाडी अपने जीवनकाल में ही सम्भला दी थी इस तरह अपने हक की कृषि भूमि उक्त घीसा पुत्र फता ने अपनो सगे भाई वादी के पिता हनुमान पुत्र फता को देकर कब्जा भौतिक रूप से आज से करीब 52 वर्ष पूर्व वादी के पिता हणमान पुत्र फता को देकर अपने हक को त्याग दिया था तभी से वादी का पिता उक्त घीसा पुत्र फता के हक हकूक, कब्जा काश्त व स्वामित्व की कृषि भूमि पर काबिज शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के तत्कालिन खातेदार घासी पुत्र फता की जानकारी में समस्त अधिकार कृषि भूमि एवं आवासीय भूमि पर हो गये जो आज दिन तक चले आ रहे है। वादी के पिता की मृत्यू के पश्चात वादी उक्त घीसा पुत्र फता के हक हकूक की कृषि भूमि व आवासीय भूमि पर काबिज बाकायदा शांतिपूर्वक चला आ रहा है इस तरह कानूनन और तथ्यात्मक रूप से वादी उक्त धीसा पुत्र फता के हक हकूक, कब्जे काश्त की कृषि भूमि का खातेदार हो गया है।यह कि जमीन खसरा नम्बर 2532 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 2533 रकबा 0.89 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.77 हैक्टर ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित है जिसमें 1द्द2 हिस्से का रिकॉर्ड घीसा पुत्र फता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है जिसकी वादी अपने नाम से खातेदार होना की घोषणा करवाने के लिए यह दावा माननीय न्यायालय में पेश कर रहा है उक्त जमीन के 1/2 हिस्से का रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार घीसा पुत्र फता वादी के पिता हणमान पुत्र फता का सगा भाई रहा है जो आजीवन अविवाहित रहकर नाऔलाद फौत होने पर वादी से खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है इसलिए घोषणा यह की जावे कि वादी घीसा पुत्र फता के स्थान पर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा रिकॉर्ड में दुरूस्ती भी इसी मुताबिक करने हेतु प्रतिवादी को आदेश दिया जावे।

घीसा पुत्र फता के चिमना व हणमान (वादी का पिता) सगे भाई थे तथा घीसा की मृत्यू के समय हणमान पुत्र फताराम जीवित था। घीसा की मृत्यु 02.01.1968 को हुई तथा घीसा की मृत्यू के समय वादी का पिता हणमान ही उक्त मृतक घीसा का सगा भाई जीवित [illegible] से भी वादी का पिता उक्त घीसा पुत्र फता की कृषि भूमि का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम [illegible] के [illegible] खातेदार काश्तकार हो गया। वादी के पिता हणमान की मृत्यू 2004 दिनांक 21.12.2004 को हो [illegible] इसलिए वादी उक्त जमीन का खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी है [illegible] झूठा दावा रामू पुत्र चिमनाराम ने उक्त घीसा पुत्र फता का दतक पुत्र बनकर न्यायालय [illegible] डी.ओ. नवलगढ में पेश किया जिसे बाला–बाला वादी अथवा उसके पिता को पक्षकार बनाये बिना दावा डिग्री तथाकथित [illegible] न्यायालय को अंधेरे में रखकर करवा लिया था जिसका ज्ञान होते ही वादी के पिता ने अपील प्रस्तुत की जहाँ से डिग्री निरस्त करके दावे को रिमाण्ड किया गया था उक्त अपीलिय आदेश की अपील उक्त रामू ने माननीय रेवन्यू बोर्ड अजमेर में की थी वह भी खारीज हो गई उसके पश्चात उक्त रामू पुत्र चिमना ने दावे

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:45 IST
Reason: SelfAttested

का यह कहते हुए विड्रा करके खारीज करवा लिया कि मैने गुमराह होकर घीसा पुत्र फता का दतक पुत्र बनकर गलत दावा किया था इस तरह वादी उक्त घीसा पुत्र फता के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है जिस पर वादी का कब्जा अपने पिता के समय से पिता के साथ बहुत लम्बे अर्से पूर्व से ही चला आ रहा है।

बिनायमुखासमत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तब पैदा हुआ जब घीसा पुत्र फता के हक की जमीन को हड़पने की कोशिश की गई तथा झुठे मुकदमे किये गये उक्त झुठे मुकदमों का अंतिम रूप से निस्तारण होने के पश्चात तुरन्त वादी ने अपने हको की रक्षा हेतु यह वाद प्रस्तुत इसलिए किया है कि घीसा पुत्र फता के हक की जमीन का हकदार वादी को घोषित किया जावे अन्यथा इस तरह के दावो में वादकारण हर पल हरवक्त पैदा होते रहते है।

जमीन खसरा नम्बर 2532, 2533 ग्राम परसरामपुरा कृषि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से इस न्यायालय को दावा की सुनवाई व निर्णय करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वाद वादी मय डुप्लिकेट प्रति व शपथ–पत्रो के पेशकर निवेदन है कि दावा डिक्री फरमाया जावे तथा घोषणा यह की जावे कि वादी जमीन खसरा नम्बर 2532, 2533 रकबा क्रमशः 0.88, 0.89 कुल रकबा 1.77 हैक्टर ग्राम परसरामपुरा को खातेदार काश्तकार है इस प्रकार रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अंकन करने के आदेश प्रतिवादी को दिया जावे, घीसा पुत्र फता के 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे, अन्य सिद्ध जो वादी के हक में हो चाही जाने से रह गई हो वह भी वादी को दिलाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 बावजूत तामील अनु0 रहने से इसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम नही की गई। तद्पश्चात शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी रामचंद्र पुत्र हणमान ने उपस्थित हो अपनी मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से शहादत पेश नही करना जाहिर किया।वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 आदि दस्तावेजात् पेश किये।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील वादी बगौर सुनी गई। बहस का मनन किया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व बहस पर मनन करते हुये निर्णय निम्नानुसार है:– वादी का मुख्य अनुतोष है कि जमीन खसरा नम्बर 2532, 2533 रकबा क्रमशः 0.88, 0.89 कुल रकबा 1.77 हैक्टर ग्राम परसरामपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज घीसा पुत्र फता के 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी ने वाद पत्र में कथन किया है कि घासी पुत्र फता नाम अविवाहित नाऔलाद फौत हो गया था। उक्त घासी पुत्र फता ने अपने जीवन काल में अपनी भूमि वादी के पिता को संभला दी थी। जिसपर वादी के पिता पूर्व में तथा वर्तमान में वादी काबिज काश्तकार है। अतः वादी को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने वाद पत्र मे दर्ज कथनों के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नही किये है। ना ही वादी की ओर से उक्त भूमि में अपने कब्जे काश्त को लेकर किसी प्रकार का साक्ष्य पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने वाद पत्र में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नही बनाया है। अतः साक्ष्यों व आवश्यक पक्षकारों के अभाव में तथा वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित नही हाने से खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज कि[illegible] है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
[illegible] (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 58/2021 **(रामचंद्र बनाम तहसीलदार आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 17.10.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.10.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

.मुददई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:45 IST
Reason: SelfAttested